समयबद्ध

प0सं0– /XXVIII–5–2018/65/2016

प्रेषक,

गरिमा रौकली,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादून दिनांक 12 जनवरी,2018

विषयः– मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा में उत्तराखण्ड राज्य के उपचार प्राप्त रोगियों के लेवी शुल्क के भुगतान सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5प/1/25/2017–18/30512 दिनांक–27 नवम्बर,2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा में उत्तराखण्ड राज्य के उपचार प्राप्त रोगियों के लेवी शुल्क के भुगतान हेतु **₹2100/हजार (रूपये इक्कीस लाख मात्र)** की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक–30–06–2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2017, भण्डार क्रय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) भारत सरकार को समय से सम्परीक्षित प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जाय,जिसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई न हों।

(9) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–12 के अंतर्गत संलग्न अलॉटमेट आई0डी0 में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक– S1801120160

भवदीय,

(गरिमा रौकली)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 31 /XXVIII–5–2018/65/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड,महालेखाकार भवन,कौलागढ़, देहरादून।
2– निदेशक,कोषागार,उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून,उत्तराखण्ड।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखंण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
6– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– चिकित्सा अनुभाग–4
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)
अनु सचिव